'गहलोत सरकार ने ई.आर.सी.पी. के नाम पर करोड़ों की सरकारी जमीनें कौड़ियों में बेचने की साजिश रची थी'

राजस्थान भाजपा के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने यह भी कहा कि, गहलोत की इस साजिश को मुख्यमंत्री भजनलाल ने विफल कर दिया है

- भारद्वाज ने कहा कि, भजनलाल सरकार ने बीकानेर और अलवर में होने वाली ज़मीनों की नीलामी निरस्त कर दी है।
- भारद्वाज ने बताया कि, भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के चार माह के भीतर ही ई.आर.सी.पी. प्रोजेक्ट, पार्वती काली सिंध परियोजना और यमुना जल समझौते पर बड़ी सफलता प्राप्त की है।

जयपुर, 3 मई। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कहा कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ई.आर.सी.पी.) में फंड जुटाने के लिए सरकारी जमीन बेचने के पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के फैसले पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा रोक लगाया जाना स्वागत योग्य कदम है। कांग्रेस सरकार ने कौडियो के भाव पर सरकारी जमीनें खुर्द-बुर्द करने के लिए यह फैसला लिया था।

लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कहा कि भजनलाल सरकार ने ई.आर.सी.पी. में फंड जुटाने हेतु सरकारी जमीनें बेचने के पिछली गहलोत सरकार के फैसले पर रोक लगाई और बीकानेर और अलवर में बेची जाने वाली जमीनों की नीलामी निरस्त करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है।

भारद्वाज ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने आनन-फानन में करोड़ों रु. की जमीनें कौडियो के भाव बेचने की जो साजिश की थी, उसका पर्दाफाश हो गया है। राजस्थान में भाजपा की पारदर्शी सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों पर एक और कड़ा प्रहार किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय के जमीन नीलामी के मामलों में मिली शिकायतों की जांच करवाई और जांच की सत्यता के बाद जमीनों की नीलामी को निरस्त करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है।

लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कहा कि राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद महज 4 माह के दौरान ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, पार्वती काली सिंध लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता करने में सफलता प्राप्त की, साथ ही पेपरलीक माफियाओं के खिलाफ सख्त फैसले लिए हैं। दूसरी ओर प्रदेश की जनता को महंगाई से राहत दिलाने के लिए पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी करने के साथ ही रसोई गैस सिलेंडर के दाम करने के अपने वादे को भी पूरा किया।

संजय निरुपम शिवसेना (शिंदे गुट) में शामिल हुए

मुंबई, 3 मई। शिवसेना से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले संजय निरुपम की 19 साल के बाद फिर से "घर वापसी" हो गई। कांग्रेस के पूर्व नेता संजय निरुपम शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए। मुंबई के पूर्व सांसद ने लगभग दो दशक पहले अविभाजित शिवसेना छोड़ी थी। निरुपम को पिछले महीने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था।

निरुपम मुख्यमंत्री शिंदे की उपस्थिति में शिवसेना में शामिल हो गए। निरुपम अविभाजित शिव सेना के हिंदी मुखपत्र दोपहर का "सामना" के संपादक रह चुके हैं। निरुपम 2005 में कांग्रेस में शामिल हुए थे और उन्हें महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव नियुक्त किया गया था। वे 2009 के लोकसभा चुनाव में मुंबई उत्तर से भाजपा के दिग्गज नेता राम नाइक को मामूली अंतर से हराकर सांसद निर्वाचित हुए थे। कांग्रेस में 19 साल तक रहने के दौरान उन्होंने कई पदों पर काम किया जिनमें से मुंबई इकाई के प्रमुख पद की जिम्मेदारी भी शामिल थी।

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: पूर्व आई.ए.एस. व राजनेताओं की 205 करोड़ संपत्तियाँ कुर्क

- कुर्क की गई सम्पत्तियों में आई.ए.एस. अनिल टुटेजा की 15.82 करोड़ रुपए की 14 संपत्तियां, रायपुर के मेयर और कांग्रेस नेता ऐजाज ढेबर के बड़े भाई अनवर ढेबर की 116.16 करोड़ रुपए की 115 संपत्तियाँ, विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू की 1.54 करोड़ रुपए की और अरविंद सिंह से जुड़ी 12.99 करोड़ रुपए की 33 संपत्तियां शामिल हैं।

रायपुर, 3 मई। छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉण्डरिंग (धनशोधन) मामले में एनफोर्समैंट डायरैक्टोरेट (ई.डी.) ने छत्तीसगढ़ के पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी अनिल टुटेजा, रायपुर के महापौर के भाई और कुछ अन्य लोगों की 205 करोड़ रुपए की सम्पत्तियां कुर्क कर ली हैं।

ई.डी. की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया कि, कुर्क की गई संपत्तियों में पूर्व आई.ए.एस. टुटेजा की 15.82 करोड़ रु की 14 संपत्तियां, रायपुर के मेयर और कांग्रेस नेता ऐजाज ढेबर के बड़े भाई अनवर ढेबर की 116.16 करोड़ रु की 115 संपत्तियां, विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू की 1.54 करोड़ रु की और अरविंद सिंह से जुड़ी 12.99 करोड़ रुपए की 33 संपत्तियां शामिल हैं।

इनके अलावा भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारी और एक्साइज विभाग के विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी की 1.35 करोड़ रु की संपत्ति, त्रिलोक सिंह ढिल्लन की 28.13 करोड़ रु की नौ संपत्तियां, नवीन केडिया के 27.96 करोड़ रु के आभूषण और आशीष सौरभ केडिया/दिशिता वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की 1.2 करोड़ रु की चल संपत्तियां को कुर्क किया गया है।

ई.डी. ने बताया कि, अनवर ढेबर कुर्क की गई सम्पत्तियों में रायपुर स्थित होटल वेनिंग्टन कोर्ट भी शामिल है, जो उनकी फर्म ढेबर बिल्डकॉन द्वारा चलाया जा रहा है।

इसके अलावा एक व्यवसायिक इमारत अकॉर्ड बिजनेस टावर भी शामिल है। कुर्क की गई सभी सम्पत्तियों की कुल कीमत 205.49 करोड़ रुपए है।

इससे पहले गुरुवार 2 मई को इस कथित शराब घोटाले की जांच के सिलसिले में यूपी स्पेशल टास्क फोर्स (एस.टी.एफ.) ने नोएडा के एक व्यवसायी विधु गुप्ता को गिरफ्तार किया था। इस कथित घोटाले की जांच कर रही ई.डी. के एक उप निदेशक की शिकायत पर पिछले साल जुलाई में ग्रेटर नोएडा के कासना पुलिस थाने में एक एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी।

पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

क्यों नहीं किया है इसका स्पष्ट जवाब उन्हें देना चाहिये। उन्होंने अदालत में जे.डी.ए. के उपायुक्तों पर आरोप लगाया था कि वे नियमन की प्रक्रिया शुरू करने के लिये और कैंप लगाने के लिये स्थानीय निवासियों से घूस लेते हैं। हालांकि पिछले वर्ष एकलपीठ ने हाईकोर्ट के पुराने आदेश पर ही पुन: सहमति देते हुए बिजली कनैक्शन दिये जाने पर रोक जारी रखी। हाईकोर्ट की एकलपीठ के इस फैसले के खिलाफ उक्त अपील दायर की गई थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञ पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव और अधिवक्ता पी.एन.भंडारी ने अदालत को कहा कि बिजली विभाग के पास यह अधिकार नहीं है और ना ही क्षमता है कि वह ये पता कर सके कि कोई भी बिजली कनैक्शन आवेदक उस भूखंड का स्वामी है या नहीं। या उसने भूखंड पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा कि बिजली कनैक्शन दिये जाने से किसी भी भूखंड का स्वामित्व तय नहीं होता है। उन्होंने अदालत को इस तथ्य से भी अवगत कराया कि सुप्रीम कोर्ट बार-बार बिजली कनैक्शन को एक मूल अधिकार की श्रेणी में घोषित कर चुका है। इसलिये बिजली विभाग को हर आवेदक की प्रार्थना पर बिजली कनैक्शन जारी करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जे.डी.ए. व अन्य प्राधिकरण व निगम किसी भी अतिक्रमणकारी को हटाने का या अन्य कोई कार्यवाही करने का अधिकार रखते हैं, इसलिये अगर विभाग द्वारा किसी अतिक्रमणकारी को भी बिजली कनैक्शन दे दिया गया है, वह भी जे.डी.ए. द्वारा हटाया जा सकता है।

उन्होंने अदालत को बताया कि मार्च 2023 में मुख्य सचिव, यू.डी.एच. विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और जे.डी.सी. की एक कमेटी में यह फैसला ले लिया गया था कि राज्य सरकार पी.आर.एन. में भी बिजली कनैक्शन देने की नीति अपनाना चाहती है। इसलिये जे.डी.ए. अधिकारियों को अब इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। अदालत ने भी इस मामले पर टिप्पणी की कि अगर पिछली सरकार के मुख्य सचिव की बैठक में यह फैसला लिया गया है तो सरकार बदलने के बाद फैसला नहीं बदला जा सकता। अब इस मामले पर सुनवाई मंगलवार को होगी।

पत्नी और पुत्र...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के लिए प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक, अंतरिम भरण-पोषण राशि दिलवाना उचित होगा। मामले के अनुसार, प्रार्थी की शादी डॉक्टर से हुई थी और उनके एक बेटा है। प्रार्थी से दहेज की मांग और मारपीट की गई। प्रार्थी के पास आय का कोई साधन नहीं है और घरेलू हिंसा के कारण ही वह अपने बेटे के साथ अलग रह रही है। प्रार्थी का पति, महात्मा गांधी अस्पताल में डॉक्टर है और वह अपने निजी अस्पताल, रिसॉर्ट व दवाई की दुकानों व अन्य साधनों से एक करोड़ रुपए वार्षिक आय प्राप्त कर रहा है। ऐसे में डॉक्टर की पत्नी व उसके बेटे को दैनिक जरूरतों की पूर्ति के लिए भरण-पोषण राशि दिलवाई जाए। जवाब में पति ने कहा कि, प्रार्थी ने स्वेच्छा से ही उसका परित्याग किया है। इसलिए उसका प्रार्थना पत्र खारिज किया जाए। दोनों पक्षों की दलील सुनकर अदालत ने प्रार्थी के पति को निर्देश दिया कि, वह अपनी पत्नी व बेटे को हर महीने 25 हजार रुपए भरण-पोषण राशि दे।

सेबी ने अडानी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन, अडानी पावर, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन्स, अडानी विल्मर और अडानी टोटल गैस शामिल हैं। उन्होंने ध्यान दिलाया कि ऑडिटर्स ने इन कम्पनियों के कई संदेहात्मक लेन देनों के उपयुक्त विकल्प सुझाए थे। उन्होंने कहा कि, अडानी के महाघोटाले के कई अन्य पहलू हैं और इण्डिया गठबंधन की सरकार जून माह में जैसे ही अस्तित्व में आयी "मोदानी" को लेकर एक जॉइन्ट पार्लियामेन्टरी कमेटी (जे.पी.सी.) को इसकी जांच सौंप दी जाएगी।

राहुल गांधी ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रधानमंत्री के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं। नि:संदेह ऐसा लगता है कि, इन आम चुनावों में नरेन्द्र मोदी के खिलाफ आंदोलन ने जो तेजी पकड़ी थी, उसकी गति कम पड़ गई है। उत्तर प्रदेश, जहां कांग्रेस कुछ हद तक अपना जनाधार वापस पाने की उम्मीद कर रही थी, वहां कार्यकर्ता हतोत्साहित हैं और महसूस करते हैं कि, अंतिम समय तक निर्णय नहीं लेना ठीक नहीं था, इस स्थिति को बेहतर तरीके से "हैण्डल" किया जा सकता था। यह निर्णय परिवार द्वारा लिया गया था, लेकिन सूत्रों का कहना है कि, इण्डिया गठबंधन के सहयोगी दलों की तरफ से भारी दबाव था कि, राहुल चुनाव लड़ें तथा अग्रिम मोर्चे पर नेतृत्व करें।

राहुल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में, अन्याय के खिलाफ चल रही न्याय की लड़ाई में मैं मेरे प्रिय जनों का प्यार और आशीर्वाद मांगता हूँ।"

अन्ततोगत्वा भाजपा के लिये भी अच्छी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यह रिपोर्ट तेलंगाना में 13 मई को एक चरण में होने वाले लोकसभा चुनावों से केवल 10 दिन पहले आयी है।

कांग्रेस ने रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले को उठाया था और "जस्टिस फॉर वेमुला" के प्रचार में भाग लिया था। अब इस मामले में कांग्रेस को परेशानी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि राहुल गांधी ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया था और उन्होंने रोहित वेमुला के नाम पर कानून बनाने का वादा किया था, जिससे शिक्षा का अधिकार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यकों की गरिमा की सुरक्षा की जा सके। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने राहित वेमुला की माँ को अपनी पैदल यात्रा से जुड़ने का निमंत्रण दिया था।

अभी तक ना तो राज्य कांग्रेस और ना ही राष्ट्रीय नेताओं ने "क्लोज़र रिपोर्ट" पर कोई प्रतिक्रिया दी है। अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन (ए.एस.ए.) रोहित वेमुला की माँ या उसके किसी रिश्तेदार ने भी शुक्रवार को अदालत में सुनवाई से पहले कोई टिप्पणी नहीं की थी।

रोहित वेमुला की आत्महत्या का केस जबकि, भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और अनुसूचित जाति/जनजाति "प्रिवेन्शन ऑफ एट्रोसिटीज़ (पी.ओ.ए.) कानून की प्रासंगिक धाराओं के तहत दर्ज हुआ था, लेकिन "क्लोज़र रिपोर्ट" में ज्यादातर वेमुला की जाति के बारे में बात की गयी है, न कि उसकी मृत्यु के पीछे कारणों के बारे में।

पुलिस क्लोज़र रिपोर्ट बताती है, "ऐसा कोई तथ्य या परिस्थिति जन्य साक्ष्य, रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण उसको आत्महत्या करनी पड़ी और उसकी मृत्यु के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है।" क्लोज़र रिपोर्ट बताती है कि, "रोहित को पता था कि वह अनुसूचित जाति से संबंध नहीं रखता है और उसकी माँ ने उसको अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिलवाया था। रिपोर्ट बताती है कि रोहित को यह डर लगातार सताता होगा कि उसकी जाति के खुलासे से उसकी शैक्षिक डिग्रियाँ छिन जायेंगी और उस पर मुकदमा भी चल सकता है।

ध्यान देने वाली बात है कि राधिका वेमुला ने हमेशा यह कहा है कि वह अनुसूचि जाति, माला जाति से संबंध रखती है और उसे एक अन्य पिछड़ा वर्ग के वड्डेरा परिवार में बचपन से एक घरेलू नौकर की तरह रही थी। रोहित के पिता, मणि कुमार भी वड्डेरा समुदाय के थे और राधिका के दलित होने का पता चलने के बाद राधिका और उसके बच्चों को छोड़ दिया था।

रिपोर्ट के अनुसार, रोहित ने अपनी जान ली क्योंकि उसकी अपनी समस्याएँ थीं और वह सांसारिक मामलों से खुश नहीं था। इसलिए हैदराबाद विश्वविद्यालय के प्रशासन और राजनीतिक नेताओं और उपकुलपति, अप्पा राव, जिनके विरूद्ध छात्रों ने केस किया था, को दोषमुक्त कर दिया जाता है। उसके शानदार शैक्षणिक प्रदर्शन के बावजूद रिपोर्ट रोहित पर "पढ़ाई से ज्यादा, कैंपस में छात्रों के राजनैतिक मामलों में लिप्त होने का" आरोप लगाती है।

रिपोर्ट में आगे था, "अगर वह विश्वविद्यालय के निर्णय से नाराज़ होता तो या तो वह "स्पेसिफिक" शब्दों में यह लिखता या फिर इस तरफ कोई संकेत देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब है कि विश्वविद्यालय की उस समय की परिस्थितियाँ रोहित की मौत का कारण नहीं है।"

'आज मैं शहज़ादे को कहना चाहता हूँ डरो ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गांधी परिवार के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार का राजनीतिक गढ़ रही अमेठी सीट से चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान किया।

शर्मा ने कहा कि, "मैं खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे "छोटे" कार्यकर्ता को ऐसी सीट से चुनाव लड़ने का मौका दिया जिस सीट पर उनके परिवार का वर्चस्व रहा है। मैं कड़ी मेहनत करूंगा, मैं इस निर्वाचन सीट के क्षेत्र में पिछले 40 वर्षों कार्य कर रहा हूँ।"

पश्चिम बंगाल में एक आमसभा को सम्बोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा "आज मैं भी उनसे कहना चाहता हूँ, "डरो मत, भागो मत।"

राहुल गांधी अक्सर जब भी भाजपा सरकार द्वारा उसके आलोचकों एवं राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को जांच एजेन्सियों के माध्यम से डराने धमकाने की बात करते हैं उस समय वे कहते हैं "डरो मत।"

प्रधानमंत्री मोदी ने कटाक्ष करने में सोनिया गांधी को भी नहीं बख्शा और कहा कि उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि मां व बेटे दोनों पराजय के डर के कारण अपनी सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे।

उन्होंने कहा था कि, उनकी सबसे बड़े नेता में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है, वे डर के मारे भाग जाएंगी। वे भाग कर राजस्थान चली गई, वहां से राज्यसभा में प्रवेश किया है।

"मैंने यह भी कहा था, शहजादे (राहुल गांधी) वायनाड में होने वाली हार से भयभीत हैं और जिस समय मतदान समाप्त होगा तब उसके बाद से वे तीसरी सीट ढूंढना प्रारंभ कर देंगे। उनके सभी वफादारों के यह कहने के बाद भी, अब यहां तक कि अमेठी से भी, वे इतने भयभीत हैं कि वे वहां से भी भाग गए हैं और अब वे रायबरेली की तरफ उम्मीदों से देख रहे हैं।

कई भाजपा नेताओं ने अमेठी - रायबरेली सीटों के निर्णय पर खुशी का इज़हार किया और कहा कि यह जगजाहिर सत्य है कि राहुल गांधी अच्छी तरह से जानते हैं कि वे अमेठी सीट नहीं जीत सकते हैं, इस सीट से स्मृति ईरानी पुन: चुनाव लड़ रही हैं।

केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जो भाजपा के हमीरपुर सीट से लोकसभा प्रत्याशी है उन्होंने राहुल पर हमला करते हुए कहा कि, अभी कुछ समय पहले, वे कहा करते थे कि डरो मत, डरो मत अब उन्हें उनकी हार का डर अमेठी से वायनाड ले गया और उसके बाद डर वायनाड से भगाकर रायबरेली ले गया, इस निर्णय से यह विदित होता है कि उनका यह पूरा पराजय का भय अब उन्हें भगाकर कहां ले जाएगा और डर यह भी है कि, कहीं वे दोनों सीटों से नहीं हार जाएं।"

उन्होंने कहा, "वो अपनी बहन (प्रियंका गांधी वाड्रा) और दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा के साथ भी न्याय करने में विफल रहे जो कि अमेठी से चुनाव टिकट मांग रहे थे, दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते थे कि प्रियंका गांधी को टिकट मिले। इसके बावजूद उनका नाम पार्टी के उम्मीदवारों की सूची में नहीं था इससे यह प्रकट होता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कुछ चल रहा है। उन्हें चाहिए कि वो देश को बताएं क्या चल रहा है।"

भाजपा के एक अन्य नेता, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक, ने कहा कि रायबरेली की जनता कभी भी राहुल को वहां स्वीकार नहीं करेगी। भाजपा रायबरेली में चुनाव जीतने जा रही है और अमेठी सीट का चुनाव भी भारी मतो के अन्तर से जीतेगी। भाजपा ने रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को उतारा है जो गत चुनाव में सोनिया गांधी से 1.67 लाख मतो से हारे थे।

भाजपा के इस आरोप कि गांधी अमेठी से इसलिए निकल गए क्योंकि वे हार के डर से भयभीत थे, के जवाब में के.एल. शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी सम्पूर्ण देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

किशोरी लाल शर्मा या के.एल. शर्मा पंजाब में लुधियाना शहर के निवासी है और वो लगभग चार दशकों से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं।

किशोरी लाल शर्मा सर्वप्रथम वर्ष 1987 में अमेठी आए थे और तब से ही इस निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ता के रुप में कार्य कर रहे हैं।

पार्टी सूत्रों का कहना है कि के.एल. शर्मा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधई के काफी करीबी थे। वर्ष 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद उनका गांधी परिवार के साथ रिश्ता और मजबूत हो गया था।

सूत्रों ने यह भी कहा कि जब सोनिया गांधी वर्ष 1999 में प्रथम बार अमेठी से चुनाव जीती थीं उस समय भी शर्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनकी बदौलत वो संसद में पहुंची थी।

सोनिया गांधी की ओर से सीट छोड़ने के बाद शर्मा ने अमेठी व रायबरेली सीटों पर पार्टी का कामकाज संभाला।

गुजरात के 45 शाही परिवारों ने एकजुट होकर प्र.मंत्री को मोदी समर्थन दिया

राजकोट में 15 से 16 शाही परिवारों के सदस्यों ने अपना समर्थन भाजपा का सौंपा

- शाही परिवारों के समर्थन से भाजपा को, पहले से नाराज़ चल रहे क्षत्रीय और राजपूत समाज की ओर से समर्थन मिलने की बड़ी उम्मीद जगी है।
- गौरतलब है कि, बीते साल गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने दलित समुदाय के समर्थन में जो बयान दिया था तभी से राजपूत और क्षत्रीय समाज भाजपा से नाराज़ हो गया था।

अहमदाबाद, 3 मई। गुजरात के 45 शाही परिवारों ने एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। इससे भाजपा को बड़ा बल मिला है। राजकोट में 15-16 शाही परिवारों के सदस्य मौजूद थे, जबकि बाकी शाही परिवारों ने अपना समर्थन पत्र भाजपा को सौंपा है। इस मौके पर राजकोट मंधाता के ठाकोर साहब सिंहजी जडेजा ने कहा कि शाही परिवार के सदस्य देशहित पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं।

सिंहजी जडेजा ने कहा, "यह निस्संदेह और एक स्पष्ट तस्वीर है कि राजपूत समुदाय और पूर्व शासक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ निकटता से जुड़े रहे हैं। शाही परिवार के सभी लोग पीएम नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता और भारत को विकास की नई बुलंदियों पर ले जाने वाली उनकी सोच की वजह से उनका समर्थन करने आए हैं। तकनीक-प्रेमी दृष्टिकोण के कारण पीएम अन्य माध्यमों का उपयोग कर देश को नई ऊंचाई दे सकते हैं।"

45 शाही परिवार के लोग ऐसे वक्त में एकजुट होकर भाजपा के समर्थन में खड़े हुए हैं, जब गुजरात का क्षित्रय और राजपूत समुदाय केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला की टिप्पणी के कारण नाराज चल रहा है।

22 मार्च को गुजरात के राजकोट में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री और राजकोट से भाजपा उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला ने दलितों की प्रशंसा कर विवाद खड़ा कर दिया था।

रुपाला ने कहा था ब्रिटिश शासन पर टिप्पणी करते हुए कहा था, "यहां तक कि राजा-महाराजाओं ने भी अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए, अपने सिर झुकाया, उनके साथ पारिवारिक संबंध बनाए, उनके साथ रोटी खाई और यहां तक कि अपनी बेटियों की शादी भी उनसे की, लेकिन इस रुखी समाज (दलित समुदाय) ने उनके सामने हार नहीं मानी।

AMFI

MUTUAL FUND KYC Aasaan Hai!

STEPS TO CHECK YOUR KYC STATUS

1. Visit any Mutual Fund's or Registrar & Transfer Agent's (RTA) Website where you have an investment.
2. Check for "KYC Status" link.
3. Enter your 10-digit PAN.
4. Your KYC Status will be displayed as 'Validated / Registered / On-Hold / Rejected'.

WHAT DOES EACH KYC STATUS IMPLY?

KYC VALIDATED

- Relax! You have to do nothing at all!
- You can do any transaction in any Mutual Fund, anytime.

KYC REGISTERED

- You can continue making transactions (like Purchases, Redemptions, Switches, SIPs, etc.) in all your existing Mutual Fund investments without any hassle.
- Only if you want to invest in a Mutual Fund where you don't have any investment already, you will have to do your KYC once again.
- You can get your KYC status changed to 'KYC Validated' by doing the KYC Update / KYC Modification process using PAN and Aadhaar from XML, Digi-locker or M-Aadhaar.
- Once your KYC status changes to Validated you can invest in any Mutual Fund of your choice without any requirement of re-KYC.

KYC ON-HOLD/REJECTED

- The KYC status on the Mutual Fund / RTA website, will show the reason for 'KYC On-Hold' / 'Rejected' status; it could be: Mobile or Email not validated / PAN is not linked with Aadhaar / Deficiency in the KYC documents, etc.
- You simply have to remediate the reason for KYC On-Hold / Rejected by following the steps given on the Mutual Fund Website. Once your KYC status changes to Registered / Validated you will be all set to start transacting, as per the KYC status.

The steps to resolve any KYC issues are easy and can be done from the comfort of your home in just a few minutes. In case of any difficulties, feel free to contact your Mutual Fund Distributor or the Mutual Fund's office / helpline (available on respective Mutual Fund's website) for further assistance.

MUTUAL FUNDS Sahi Hai

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

राष्ट्रदूत हिन्दु संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाईन्ट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513 कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908